छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा | द्वादश सत्र | अंक-22

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 19 मार्च, 2013

(फाल्गुन-28, शक संवत 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1.प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 03, 05, 06 एवं 08 से 10 (कुल 08) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

तारांकित प्रश्न संख्या 02 पर चर्चा के दौरान प्रश्नकर्ता सदस्य श्री लेखराम साहू रेत खदानों पर समुचित कार्यवाही नहीं होने का उल्लेख करते हुये महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना देने का कथन करते हुए सभा से बाहर चले गये। श्री महंत रामसुन्दर दास माननीय सदस्य को वापस सभा में लेकर आये ।

प्रश्न संख्या 04 एवं 07 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः डॉ.शिवकुमार डहरिया एवं डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम अनुपस्थित रहे।

ता.प्र.सं. 06 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री टी.एस.सिंहदेव के स्थान पर श्री अमरजीत भगत, सदस्य, अधिकृत थे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 38 तारांकित एवं 50 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने -

(1) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 45/सी.एस.ई.आर.सी./2012, दिनांक 29 दिसम्बर, 2012 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र एवं प्रभार तथा अन्य संबंधित विषयक) विनियम, 2012, तथा

(2) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 36/छ..ग.रा.वि.नि.आ./2011, दिनांक 23 जनवरी, 2013 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन) विनियम, 2011 **पटल पर रखा।**

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री नन्दकुमार पटेल - (अनुपस्थित - सूचना प्रस्तुत नहीं हुई)

(2) सर्वश्री भजनसिंह निरंकारी, मोहम्मद अकबर, सदस्य ने जिला राजनांदगांव अंतर्गत अंबागढ़ चौकी के संरक्षित जंगल में बिना अनुमति के पंचायत द्वारा सड़क निर्माण किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री विक्रम उसेंडी, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियम 267-क (2) को शिथिल कर निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री संतोष बाफना

(2) श्री अमरजीत भगत

(3) श्री रूद्र कुमार गुरू

(4) श्री गुरूमुख सिंह होरा

(5) श्री कुलदीप सिंह जुनेजा

(6) श्री चैतराम साहू

(7) डॉ. हरिदास भारद्वाज

(8) श्री सौरभ सिंह

(9) श्री भोलाराम साहू

(10) डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम

(11) श्री धर्मजीत सिंह

(12) श्री लेखराम साहू

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि शासन की ओर से प्राप्त निम्नानुसार विधेयकों को वर्तमान सत्र की अल्प शेष अवधि के परिप्रेक्ष्य में तथा विधेयको की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए स्थायी आदेश क्रमांक 23 (2) एवं 24 तथा विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 के उप नियम (1) को, सदन की अनुमति की प्रत्याशा में, शिथिल कर आज ही पुर:स्थापन की अनुमति प्रदान की।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

(1) अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 (क्रमांक 10 सन् 2013)

श्री रामविचार नेताम, तकनीकी शिक्षा मंत्री, ने अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 (क्रमांक 10 सन् 2013) पुर:स्थापित किया ।

(2) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 11 सन् 2013)

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 11 सन् 2013) पुर:स्थापित किया।

(3) छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 12 सन् 2013)

श्री रामविचार नेताम, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 12 सन् 2013) पुर:स्थापित किया।

(4) दंड विधि (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 13 सन् 2013)

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने दंड विधि (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 13 सन् 2013) पुर:स्थापित किया।

(5) छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार विधेयक, 2013 (क्रमांक 14 सन् 2013)

श्री रामविचार नेताम, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार विधेयक, 2013 (क्रमांक 14 सन् 2013) पुर:स्थापित किया।

(6) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 15 सन् 2013)

श्री युद्धवीर सिंह जूदेव, संसदीय सचिव ने छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य, वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 15 सन् 2013) पुर:स्थापित किया।

6. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2013 (क्रमांक 3 सन् 2013)

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव, ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2013 (क्रमांक 3 सन् 2013) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अग्नि चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री नारायण चंदेल, लखमा कवासी, देवजी पटेल,

(सभापति महोदय (डॉ.हरिदास भारद्वाज) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री बोधराम कंवर, दीपक कुमार पटेल, दूजराम बौद्ध, मोहम्मद अकबर, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली के नियम 158 के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार विनियोग विधेयक पर चर्चा पूर्ण होने के लिए सायं 5.00 बजे तक का समय निर्धारित है। माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर समाप्त होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाती है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री अमरजीत भगत, सदस्य अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज की घोषणा नहीं किए जाने के विरोध स्वरूप गर्भ गृह में आये व नियमों के अंतर्गत स्वतः निलंबित हुए। माननीय सदस्य वापस अपने आसन पर गए।

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री के आग्रह पर माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्य को निर्देशित किया कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, सदस्य को सभा में बैठने की अनुमति दी।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2013 (क्रमांक 3 सन् 2013) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

सायं 5.56 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनाँक 20 मार्च, 2013 (फाल्गुन, 29 शक संवत् 1934) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा